परिपत्र संख्या- 1011071 / वर्ष 2010-11

पत्र संख्या-एस0एस0-एक(33) संग्रह पुरस्कार -2010-11/ 1160 / वाणिज्य कर

कार्यालय : कमिश्नर, वाणिज्य कर, उ0प्र0।

(संख्या अनुभाग)

लखनऊ : दिनॉक : 23/12/2010

समस्त जोनल एडीशनल कमिश्नर, वाणिज्य कर

उत्तर प्रदेश।

वाणिज्य कर राजस्व संग्रह के निर्धारित मासिक व क्रमिक लक्ष्य पूर्ति को प्रोत्साहन देने तथा जोन के अधिकारियों का मनोबल बढ़ाने के उददेश्य से प्रत्येक माह की मासिक बैठक में नियत किये गये मानक को पूरा करने वाले जोन को **'सर्वश्रेष्ठ राजस्व जोन चल वैजयन्ती'** दिये जाने का निर्णय लिया गया है।

1. वर्ष 2010-11 में दिसम्बर-10 से मार्च-11 तक के चार माहों के लिए तथा अगले वर्ष से प्रत्येक 12 माहों के लिए यह व्यवस्था लागू रहेगी।
2. मानक :
   I. जो वाणिज्य कर जोन मासिक लक्ष्य की शत-प्रतिशत पूर्ति सुनिश्चित करेंगे वे पात्रता की परिधि में आयेंगे।
   II. एक से अधिक जोन के मासिक लक्ष्य की शत-प्रतिशत पूर्ति सुनिश्चित करने पर मासिक लक्ष्य पूर्ति व मासिक वृद्धि दर तथा क्रमिक लक्ष्य पूर्ति व क्रमिक वृद्धि दर पर निम्न प्रकार अंक प्रदान किये जायेंगे। जिस जोन का अंक ज्यादा होगा उस जोन को यह वैजयन्ती एक माह के लिए रखने हेतु जोनल एडीशनल कमिश्नर को मासिक बैठक में मा0 मंत्री जी द्वारा उपलब्ध कराई जायेगी।
   III. अंकों का ऑकलन :
      A. 100 प्रति0 मासिक लक्ष्य पूर्ति पर 20 अंक। 100 प्रति0 से अधिक लक्ष्य पूर्ति पर ऐकिक नियम से अंक अधिक होंगे अर्थात 110 प्रति0 मासिक लक्ष्य पूर्ति पर अंक 20/100*110 =22 होंगे।
      B. 37 प्रति0 की मासिक वृद्धि दर पर 20 अंक होंगे। इससे कम या अधिक वृद्धि दर पर अक ऐकिक नियम के अनुसार कम या अधिक होंगे अर्थात 35 प्रति0 मासिक वृद्धि दर पर अंक 20/37*35=18.9 होंगे।
      C. क्रमिक लक्ष्य पूर्ति 100 प्रति0 होने पर 30 अंक मिलेंगे। क्रमिक लक्ष्य पूर्ति 100 प्रति0 से कम या अधिक होने पर ऐकिक नियम से अंक कम या अधिक होंगे अर्थात 80 प्रति0 क्रमिक लक्ष्य पूर्ति होने पर 80/100*30=24 अंक दिये जायेंगे।
      D. गत वर्ष के संगत अवधि के सापेक्ष क्रमिक वृद्धि दर 37 प्रति0 होने पर 30 अंक दिये जायेंगे। इससे कम या अधिक होने पर ऐकिक नियम से अंक कम या अधिक होंगे अर्थात 28 प्रति0 क्रमिक वृद्धि दर होने पर 28/37*30=22.7 अंक होंगे।
3. उपर्युक्तानुसार ए से डी तक प्रदान किये गये 100 प्रति0 या इससे अधिक मासिक लक्ष्य पूर्ति के जोन में जिस जोन के अंकों का योग सबसे अधिक होगा वह उस माह की वैजयन्ती के विजेता होंगे।
4. **माह दिसम्बर-10 के मासिक संग्रह के आधार पर प्रथम बार यह वैजयन्ती मा0 मंत्री जी, वाणिज्य कर, उ0प्र0 द्वारा दि0 09-01-11 की मासिक बैठक में दी जायेगी।**

5. मासिक वैजयन्ती के विजेता जोन अगली मासिक बैठक में वैजयन्ती को साथ लायेंगे। बैठक में समीक्षा के माह के संग्रह में उपर्युक्तानुसार सबसे अधिक अंक प्राप्त करने वाले जोन को यही वैजयन्ती प्रदान की जायेगी।
6. जिस माह में कोई जोन विजेता नहीं होगा उस माह में यह वैजयन्ती मुख्यालय पर रखी रहेगी।
7. वैजयन्ती में प्रत्येक माह के लिए 12 एम्बलम होंगे। प्रत्येक एम्बलम में संगत माह का नाम तथा उस माह के विजेता जोन का नाम अंकित कराया जायेगा।
8. वर्ष 2010-11 के 4 माह में जो जोन अधिक बार इस वैजयन्ती को प्राप्त करेगा। माह अप्रैल-11 के पश्चात अगले माह की मासिक बैठक में यह वैजयन्ती उस जोन को स्थाई रुप से दे दी जायेगी।
9. वर्ष 2011-12 से वर्ष के अन्त में 12 माह में से जो अधिक बार के विजेता जोन होंगे, उन्हे वैजयन्ती स्थाई रुप से प्राप्त कराई जायेगी।
10. वर्ष के अन्त में यदि विजेता जोन के माहों की संख्या टाई करती है तो टाई किये हुए जोन में से मासिक विजेता के चयन के समय जो अंक प्रदान किये गये थे, उन अंकों के योग करने पर जिस जोन का अधिक अंक होगा उस जोन को संगत वर्ष की वैजयन्ती स्थाई रुप से दे दी जायेगी।

मुझे विश्वास है कि आप अपने जोन में अधीनस्थ अधिकारियों का कुशल नेतृत्व करके उनमें टीम भावना विकसित करके उनका उत्साह व मनोबल बढाते हुये प्रत्येक क्षेत्र में उत्कृष्ट प्रदर्शन से स्थाई रुप से वैजयन्ती प्राप्त कर जोन को यश व सम्मान दिलायेगे।

23/12/10

(चन्द्र भानु)
कमिश्नर, वाणिज्य कर,
उत्तर प्रदेश।

पृ0 पत्र संख्या एवं दिनॉक : तदैव।

प्रतिलिपि : निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. प्रमुख सचिव, वाणिज्य कर व मनोरंजन कर, उ0प्र0 शासन।
2. एडीशनल कमिश्नर, वाणिज्य कर, उ0प्र0।
3. एडीशनल कमिश्नर (प्रशासन) / (लेखा) वाणिज्य कर, उ0प्र0।
4. समस्त एडीशनल कमिश्नर एवं ज्वाइंट कमिश्नर व अनुभाग प्रभारी, वाणिज्य कर, मुख्यालय।
5. समस्त ज्वाइंट कमिश्नर (कार्य0) व (कारपोरेट सर्किल) वाणिज्य कर, उ0प्र0।
6. समस्त खण्डाधिकारी द्वारा सम्बन्धित ज्वाइंट कमिश्नर (कार्य0) वाणिज्य कर, उ0प्र0।
7. डिप्टी कमिश्नर / वरिष्ठ स्टाफ अधिकारी (कमिश्नर कैम्प) वाणिज्य कर, मुख्यालय।
8. डिप्टी कमिश्नर / जनसूचना अधिकारी, वाणिज्य कर, मुख्यालय।
9. आहरण-वितरण अधिकारी, वाणिज्य कर, मुख्यालय।
10. नाजिर, वाणिज्य कर, मुख्यालय को इस निर्देश के साथ कि उपर्युक्त वैजयन्ती को क्रय कराने की कार्यवाही तत्काल करायें तथा प्रत्येक माह की 5 तारीख तक संख्या अनुभाग, मुख्यालय से जोन का नाम प्राप्त करके वैजयन्ती में अंकन करायें।

23/12

कमिश्नर, वाणिज्य कर,
उत्तर प्रदेश।